

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय संचार ब्यूरो
फेज -IV , सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

01/एबीएस/परामर्शिका/2017-18(4)/ ई-बिल

दिनांक 19.05.2025

परामर्शिका

यह ई-बिलिंग और संबंधित दस्तावेजों की प्रस्तुति के संबंध में इस ब्यूरो के दिनांक 04.09.2024, 01.10.2024 और 15.10.2024 की परामर्शिका के अनुक्रम में है।

2. चूंकि यह प्रणाली हाल ही में शुरू की गई है, प्रकाशकों/हितधारकों ने नये परिवर्तनों को अपनाते हुए परिचालन संबंधी मुद्दे, तकनीकी त्रुटियाँ, कार्यान्वयन प्रणाली के कारण संबंधित दस्तावेजों/ ई-बिलों को अपलोड करने में असमर्थता दर्शाई है। इसे ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने ई-बिल मॉड्यूल की शुरुआत में जारी सीबीसी विज्ञापन के दस्तावेज प्रस्तुति और/या बिल प्रस्तुति के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।
3. प्रकाशक अपने दस्तावेज इस परामर्शिका के जारी होने के 03 दिनों और बिल 07 दिनों के भीतर अपलोड कर सकते हैं।
4. यह महानिदेशक, सीबीसी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

रुपा वेदी

(रुपा वेदी)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी